राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ.2( )बजट / आवं. / ICDS / 18 / 164802-165105 जयपुर, दि0 12-9-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाऐं
(समस्त)

विषयः–विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु मांग–पत्र पृथक–पृथक भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में अधीनस्थ जिला / परियोजना कार्यालयों द्वारा आईसीडीएस सामान्य योजनान्तर्गत विभिन्न उपमदों एवं पोषाहार योजनान्तर्गत गरम पूरक पोषाहार व आरटीई–एसएचजी की मांग विभाग को इकजाई रूप से भिजवायी जा रही है। उक्त दोनों योजनाऐं पृथक पृथक योजना प्रभारियों के नियंत्रणाधीन है।

अतः उक्त योजनाओं में अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु मांग पत्र यथा आईसीडीएस सामान्य योजनान्तर्गत विभिन्न उपमदों की वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय एवं पोषाहार योजनान्तर्गत गरम पूरक पोषाहार व आरटीई–एसएचजी की अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय को प्रेषित की जावे। यदि भविष्य में उक्त योजनाओं में अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग इकजाई रूप से प्रेषित की जाती है, तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा एवं इसके लिए संबंधित कार्यालयध्यक्ष स्वंय उत्तरदायी होगें।

निदेशक

क्रमांकः–एफ.2( )बजट / आवं. / ICDS / 18 / 165106-141 जयपुर, दि0 12-9-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पोषाहार योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिला / परियोजना कार्यालयों से गरम पूरक पोषाहार व आरटीई–एसएचजी की मांग का औचित्य पूर्ण परीक्षण कर, अतिरिक्त आवंटन की जाने वाली राशि की सूची, परियोजनावार मय आईडी एवं बजट मद का अंकन कर, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटन किया जा सके।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

निदेशक

-D:\Budget\SETHI\WORD\ORDER.doc